सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 572/प्रेसनोट/2020 **दिसम्बर - 31 दिसंबर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली

पुलिस पार्टी पर फायर कर भाग रहे अभियुक्त अबैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग हर्रा की चुंगी तिराहे पर की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुआ कि पोलीटेक्नीक कालेज के पीछे मजार के गेट के पास ती सातिर वाहन चोर खड़े है जो किसी बड़ी घटना के फिराक में है तथा उसके पास असलहा भी है। जिसके क्रम में -

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के0के0 गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को प्राप्त सूचना के अनुसार कि एक मोटर साईकिल के साथ तीन व्यक्ति पोलीटेक्नीक कालेज के पीछे मजार के गेट के पास खड़े है। जिनके पास असलहा व कारतूस भी है प्रतीत हो रहा है कि ये लोग किसी भी बड़ी घटना को अन्जाम देने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। कि मुखबीरी सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पोलीटेक्नीक कालेज के पीछे मजार के गेट के पास पहुचे तो देखे की सूचना के अनुसार तीन व्यक्ति खड़े है कि पुलिस टीम को देखते ही उक्त खड़े तीनों व्यक्तियो ने आचानक एक साथ चिल्लाकर कहे कि मारो गोली साले पुलिस वाले है आज बचने न पाये कि इतने में उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने पुलिस टीम को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया कि पुलिस टीम हिकमत अमली से बाल –बाल बच गये कि इतने में तीनो व्यकि मोटर साइकिल स्टार्ट कर भागने लगे कि एक व्यक्ति लड़खड़ा कर वही गिर गया कि उक्त व्यक्ति को मौके पर घेर कर दिनांक- 30.12.2020 को समय 21.45 बजे पकड़ लिया गया मोटर साइकिल से भाग रहे व्यक्तियो का पीछा कर पकड़ने की कोशिश किया गया परन्तु दो व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 360/2020 धारा 307/34 IPC व 7/25 A. Act. बनाम 1.हरिओम गौड़ पुत्र रामकीरत गौड़ सा0 रामपुर मुबारकपट्टी थाना मुबाकरपुर आजमगढ़ 2.प्रदुम्मन यादव पुत्र संजय यादव सा0 चाड़ीपुर मठिया थाना करन्डा जनपद गाजीपुर 3.नदीम पुत्र इकराम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त हरिओम गौड़ उपरोक्त की जामा तलाशी के दौरान (1. एक अदद .315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ) बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 360/2020 धारा 307/34 IPC व 7/25 A. Act. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. हरिओम गौड़ पुत्र रामकीरत गौड़ सा0 रामपुर मुबारकपट्टी थाना मुबाकरपुर आजमगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद देशी कट्टा .315 बोर , 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. श्री अनिल कुमार मिश्रा , चौ.प्र. ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. श्री विनय कुमार दुबे , चौ.प्र. पहाड़पुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़
3. श्री संजय तिवारी , चौ.प्र. बलरामपुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़

थाना जहानागंज

नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास व जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

दिनांक 29.12.2020 कोबिहारी प्रजापति थाना जहानागंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र 14 वर्ष को सुनील कुमार पुत्र रामअधार द्वारा गलत नियत से हाथ पकडना और छेडखानी करना तथा

चिल्लाने पर गाली गुप्ता देते हुए गलत नियत से चढ्ढी व कपडा उतारना व जान मारने की धमकी देने लगा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 293/20 धारा 354ख ,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 31.12.2020 को उ0नि0 विजय प्रताम सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त सुनील राम पुत्र रामाअधार राम ग्राम ममरखापुर (गंभीरवन) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को अकबेलपुर तिराहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।